NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :195/NCRES/20 Date : 28.9.2020

श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई. आर)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– दिनांक 14.10.2020 व 15.10.2020 को झांसी में NCRES की वर्किंग कमेटी मीटिंग।

महोदय,

अवगत कराना है कि कोविड–19 की महामारी के समय अनलाक–1 शुरू होने पर NCRES ने "संघ" के वित्त एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिये दिनांक 24.6.2020 व 25.6.2020 को प्रयागराज में वीडियो कॉफ्रेंसिग द्वारा वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया था लेकिन जिस उद्देश्य के लिये मीटिंग का आयोजन किया गया था वो नेटवर्क की कनेक्टविटी बार–बार भंग होने के कारण सफल नही हो पाया।

NCRES की वर्किंग कमेटी मीटिंग व सेन्ट्रल इक्जक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ शाखाओं एवं डिवीजनल यूनिट के क्रियाकलाप पर विस्तार से चर्चा किया जाता है। इन मीटिंगो में संगठनात्मक कार्य के अलावा सेन्ट्रल बाडी का मुख्यतः इस विषय पर ध्यान रहता है कि प्रयागराज, झांसी, आगरा मण्डल व वर्कशाप इत्यादि के क्रिया–कलाप में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न हो और औद्योगिक शान्ति बरकरार रहे ताकि रेल का विकास होता रहे।

यह भी अवगत कराना है कि NFIR द्वारा दिनांक 22.9.2020 व 23.9.2020 को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमे भारतीय रेल के समस्त जोनो, समस्त प्रोडक्शन यूनिटों, एवं सभी वर्कशापों इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण बार–बार कनेक्टविटी भंग होने से लोगो की बात अधूरी रह जाती थी जिसके कारण दिनांक 23.9.2020 की मीटिंग में केवल 50% लोगो को ही भाग लेने दिया गया लेकिन दिनांक 23.9.2020 को भी नेटवर्क की कनेक्टविटी बार–बार भंग होने से मीटिंग ठीक ढ़ंग से सम्पन्न नही हो पायी।

यह भी अवगत कराना है कि अनलाक–1 में भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिये दिनांक 22.5.2020 से IRCTC एवं PRS सेन्टर से यात्रियों के आरक्षण का कार्य शुरू कर दिया था और रेलवे बोर्ड द्वारा धीरे–धीरे यात्री गाड़ियों की संख्या भी बढ़ायी जा रही है।

कोविड–19 के वर्तमान परिवेश (अनलाक–4) में केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी बाजार खुलने लगे है, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होने लगे है, देश में कहीं से कही भी आया–जाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनलाक–4 की गाइडलाइन दिनांक 31.8.2020 (संलग्न) को जारी किया गया है जिसके अनुसार **दिनांक 21 सितम्बर 2020 से निम्न के लिये इस**

शर्त के साथ छूट दिया गया है कि सभी लोग फेस मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करेगें।

(1) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार व राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।

(2) आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे तकनीकी व प्रबन्धन से जुड़े शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति।

(3) 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्ति को सम्मलित होने की अनुमति।

(4) ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति होगी।

यह भी अवगत कराना है कि NCRES के वर्किंग कमेटी मीटिंग में भाग लेने वालों की संख्या 50 से कम है, और उपस्थित होने वाले सभी प्रतिनिधि कोरोना वायरस से बचाव के लिये भारत सरकार, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी बनाकर, मास्क पहनकर एवं बचाव के अन्य जो भी उपाय होगे उसका पालन करेगें।

दिनांक 24/25.6.2020 की पिछली वर्किंग कमेटी मीटिंग में नेटवर्क के कनेक्टविटी की समस्या के कारण NCRES का अनुरोध है As a Special Case दिनांक 14 व 15 अक्टूबर 2020 को झांसी की वर्किंग कमेटी मीटिंग में भाग लेने वाले "संघ" के प्रतिनिधियों (संलग्न सूची) को समय से कार्यमुक्त करने व पास जारी करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करें।

संलग्नः—(1) वर्किंग कमेटी मीटिंग मे भाग लेने वालों की सूची।
(2) यू. पी. अनलाक—4 की जारी गाइडलाइन दि0 31.8.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

दिनांक 14.10.2020 व 15.10.2020 की वर्किंग कमेटी मीटिंग मे भाग लेने वालो की सूची

1. अध्यक्ष, श्री सैय्यद शकील हैदर, सेवानिवृत्ति सी.आई.टी./टूण्डला
2. उपाध्यक्ष, श्री राम कुमार सिंह, सीनि. टेक्नी./आर. एस. के. सिथौली/ग्वालियर
3. उपाध्यक्ष, श्री मान सिंह, सीनि. टेक्नी./आर.एस./कानपुर अधीन वरि.म.वि.अभि./आर.एस./कानपुर
4. उपाध्यक्ष, श्री एस. के. मिश्रा, सेवानिवृत गार्ड/मेल/प्रयागराज
5. महामंत्री, श्री आर. पी. सिंह, सेवानिवृत सी.आई.टी. प्रयागराज
6. सयुक्त महासचिव, श्री अखिलेश सिंह राठौर, सोशल वर्कर/प्रयागराज
7. सयुक्त महासचिव, श्री गोबिन्द सिंह, सी.ओ.एस. (रिकार्ड) व. म. कार्मिक अधिकारी प्रयागराज
8. सयुक्त महासचिव, श्री ए. के. दधीच, लोको पायलट/मेल, अधीन सी.सी.सी. आगरा
9. सहायक महासचिव, श्री अक्षय कान्त शर्मा, टी.आई./आगरा अधीन व.मं. परि. प्रबन्धक आगरा
10. सहायक महासचिव, श्री सत्य नारायण, सेवानिवृत मेल गार्ड/प्रयागराज
11. सहायक महासचिव, श्री आलोक सहगल, एस.एस.ई/सिग/प्रयागराज
12. सहायक महासचिव, श्री बी. पी. एस. चंदेल, सी.एल.आई./झांसी अधीन व. मं. वि. इंजी/झांसी
13. सहायक महासचिव, श्री एस. के. सिंह, सेवानिवृत वरि. अनुभाग अधिकारी/प्रयागराज
14. कोषाध्यक्ष, श्री दीपक गोयल, एस.एस.ई. (पी.वे) अछनेरा, आगरा

वर्किंग कमेटी मेम्बर

15. श्री अरूण कुमार राय, एस.एस.ई, कार्य (नि.) अधीन उप मुख्य अभि. (नि.), कानपुर
16. श्री राजीव वर्मा, सी.ओ.एस./कार्मिक अधीन व.म. कार्मिक अधिकारी, प्रयागराज
17. श्री पिंकू कुमार, एस.एस.ई. (पीवे)/लिंक जक्शन अधीन एस.एस.ई (पीवे)/नैनी
18. श्री राकेश कुमार, सी.आई.टी. अधीन सी.आई.टी./लाइन/प्रयागराज
19. श्री एस. के. शर्मा, सी.आई.टी. अधीन सी.आई.टी./लाइन/प्रयागराज
20. श्री राम विनय कुमार सिंह, सीनि. एस.ओ. अधीन सीनि.डी.एफ.एम./प्रयागराज
21. श्री गोविन्द रंजन सिंह, ई.एस.एम.। (सिग.), कानपुर अधीन एस.एस.ई/सिंग/कानपुर
22. श्री शिराज अहमद सिद्दीकी, गार्ड अधीन सी.एच.सी./जी.एम सी/कानपुर
23. श्री रविशंकर सिंह, वरि. टेक्नी. अधीन व.मं.वि.अभि./टी.एम.शेड./कानपुर
24. श्री के. के. सिन्हा, चीफ फार्मासिस्ट, चुनार अधीन स.म.चि.अ. उ.म.रे/स्वास्थ केन्द्र चुनार
25. श्री संजय कुमार शुक्ला, सी.एम.आई./अलीगढ़ अधीन डी.टी.एम. अलीगढ़
26. श्री अशोक कुमार, सी.आई.टी/टूण्डला अधीन सी.आई.टी./लाइन/टूण्डला
27. श्री राघवेन्द्र गुप्ता, एस.एस.ई (पीवे), मथुरा साउथ अधीन ए.डी.ई.एन./लाइन/मथुरा
28. श्री पी. के. सोनी, लोको पायलट (पैसे.) अधीन एस.एस.ई (डीजल), धौलपुर
29. श्री एस. के. त्यागी, सी.एल.आई. अधीन व.म. विद्युत अभियन्ता/आगरा
30. श्री संजय अग्रवाल, एसएसई/वर्क्स/मथुरा अधीन एडीईएन–।/मथुरा जं0
31. श्री अरूण कुमार शर्मा, सी.ओ.एस./मथुरा जं. अधीन सी.सी.सी./मथुरा
32. श्री वाई. पी. शर्मा, चीफ वाणिज्य पर्य0/मथुरा जं. अधीन एस.एम./मथुरा जं.
33. श्री एस. के. सिंह, एस.एस.ई. (पीवे), नार्थ झांसी अधीन ए.डी.ई.एन./(लाइन)/झांसी

34. श्री राजकुमार थापक, ओ.एस. बेल्डिंग शाप, वर्कशाप, झाँसी
35. श्री अरूण कुमार झा, टेक्नी.।। अधीन एस.एस.ई / टी.आर.डी. / ग्वालियर
36. श्री बी. के. सिंह, एम.सी.एम. / वि.लो. शेड / झाँसी
37. श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, वरि. ख. अभि. / कै.वै / ग्वालियर अधीन ए.डी.एम.ई. / ग्वालियर
38. श्रीमती सरिता दास, चीफ मैट्रन अधीन सी.एम.एस. / झांसी
39. श्रीमती ममता गौड़, सी. बी. क्लर्क अधीन सी.बी.एस. / ग्वालियर
40. श्रीमती आरती तमोरी, सीनि. टी.ई / झांसी अधीन एस.एम. झांसी
41. श्री विवेक चडढ़ा, सीनि. टेक्नी. अधीन एस.एस.ई / पेनटिंग शाप / सी.डब्लू एम. / झांसी
42. श्री के. के. त्रिपाठी, गार्ड / मेल अधीन एस. एम. बांदा
43. श्री अनूप कुमार यादव, एस.एस.ई. / कै.वै. / कानपुर अधीन सी.डी.ओ. / कानपुर

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

UP Unlock 4.0 Guidelines : यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक-4 गाइडलाइन, जानिए क्या बंद-क्या खुला

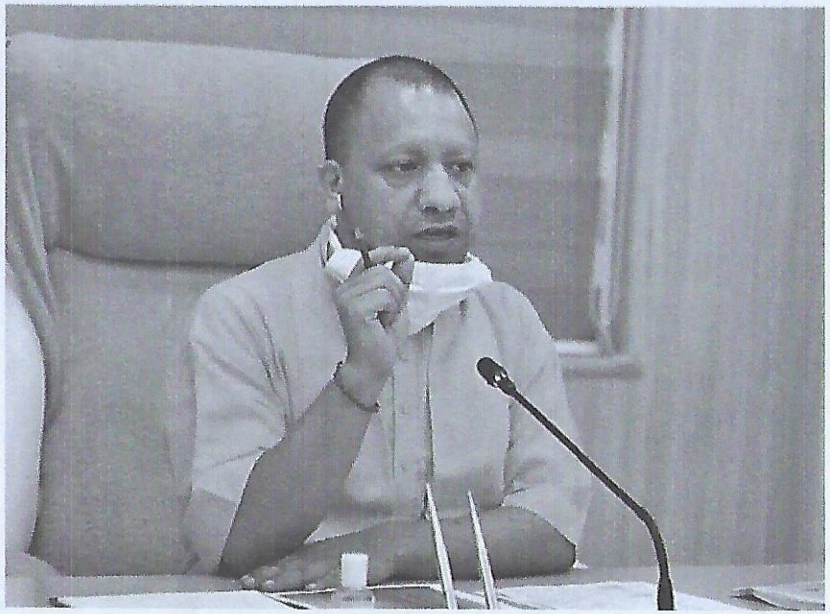

UP Unlock 4.0 Guidelines : यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक-4 गाइडलाइन, जानिए क्या बंद-क्या खुला

Publish Date:Mon, 31 Aug 2020 06:45 AM (IST) | Author: **Umesh Tiwari**

लखनऊ, जेएनएन। Uttar Pradesh Unlock 4.0 Guidelines : केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें केंद्र की राह पर ही यूपी ने कदम बढ़ाए हैं। एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 के सहारे अब पुराने और अच्छे दिनों की ओर सधे कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। योगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। गाइडलाइन में सात सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला है, तो स्कूल-कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों में सावधानी के साथ पढ़ाई-प्रशिक्षण फिर शुरू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। खास बात ये है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में सेक्टर स्तर पर डायरी तैयार करायेगी भाजपा, स्थानीय समीकरण का दर्ज होगा विवरण
यह भी पढ़ें

केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ में मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी होंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50 फीसद तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली-काउंसलिंग समेत अन्य काम कर सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति व उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित, लिया साख बढ़ाने का संकल्प
यह भी पढ़ें

यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। स्कूलों को इसके लिए बच्चों के माता-पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा।

लखनऊ में कोरोना के साथ अब बढ़ रहे डेंगू के मरीज, रिजर्व हुए बेड
यह भी पढ़ें

अनलॉक-चार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए राहत लेकर आया है। अभी तक इन समारोहों पर प्रतिबंध था। 21 सितंबर से इन्हें भी इजाजत दी जा सकेगी। समारोह में भाग लेने की संख्या अधिकतम 100 तय की गई है। इसमें शारीरिक दूरी, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।

ये हैं यूपी सरकार के दिशा-निर्देश

UP Coronavirus Update : उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 1.65 लाख नमूनों की जांच, 5,234 नए पॉजिटिव केस मिले
यह भी पढ़ें

कक्षा नौ से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल

- सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
- 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग-नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार व राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तरप्रदेश और उनके प्रशिक्षण देने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी या प्रयोगशाला संबंधी कार्य से जुड़े व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। हालांकि ऐसा कोविड-19 की परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद ही होगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन

बलरामपुर अस्पताल की RTPCR लैब ओवरलोड, क्षमता से अधिक आ रहे नमूने
यह भी पढ़ें

- कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छोड़ा गया था।
- अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकलने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे।

सामूहिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे सौ व्यक्ति

लखनऊ समेत 14 शहरों में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें आठ माह में, शासनादेश जारी
यह भी पढ़ें

- 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम सौ व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति होगी। फेस मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम तीस और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद अधिकतम सौ व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
- सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

यथावत रहेगी साप्ताहिक बंदी : प्रत्येक शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी। इस बंदी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है।